अनुसूची 14 फारम संख्या 562

न्यायलय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर- सरिया, गिरिडीह

आदेश पत्रक रुकसाना प्रवीण उम्र ...... प्रथम पक्ष

बनाम

पक्ष बीबी अमीना खातुन उम्र ...... द्वितीय पक्ष

देखे अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129

आदेश पत्रक ता० .... से .... तक

जिला गिरिडीह।

विविध वाद संख्या ......03/22...... सन् 2021

धारा 144 द०प्र०स०

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे गें टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
22/12/21	आवेदिका रुकसाना प्रवीण उम्र पे० स्व० मो० खलील मलिक, सा०- मनकडीहा, थाना- बिरनी जिला- गिरिडीह द्वारा द० प्र० सं० की धारा 144 के अन्तर्गत विवादित भूमि मौजा- बलिया मनकडीहा, खाता सं०- 38 प्लॉट सं०- 1014, रकबा- 13 डि० मध्ये 5.5 डी० मां० उ० सफायत मलिक पे० सफायत मलिक, पु० सफायत मलिक पे० शेख वजीर मे भू- विवाद के कारण निषेधाज्ञा लागू करने हेतु आवेदन दिया गया है। प्राप्त आवेदन पर जाँच/मंतव्य अंचल अधिकारी/ थाना प्रभारी- बिरनी से माँगे। अभिलेख दि० 30/12/21 को रखें। लेखापित एवं संशोधित अनु० [signature] बगोदर- सरिया अनु० [signature] बगोदर- सरिया	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	अभिलेख उपस्थापित। थाना प्रभारी/अंचल अधिकारी 2919/2021 दिनांक 30/12/2021 के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन के बाद संतुष्ट हूँ कि भूमि विवाद को लेकर उभय पक्षों में शांति भंग होने की आशंका है एवं उभय पक्ष टकराव के लिए तत्पर है। जिसके कारण उस क्षेत्र में शांति भंग खून-खराबा तथा उपद्रव हो सकता है जो मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है। इस बात से मैं संतुष्ट हूँ कि इस मामले में टकराव को दूर करने तथा इलाके में शांति बनाये रखने के लिए निरोधात्मक कार्यवाई आवश्यक है इन तथ्यों के आलोक में उभय पक्षों के विरुद्ध धारा-144 दं०प्र०सं० के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ किया जाता है तथा उभय पक्षों को 60 दिनों के लिए विवादग्रस्त भूमि पर या उसके नजदीक जाने अथवा किसी भी तरह का कार्य करने के लिए प्रतिबंधित किया जाता है तथा रोका जाता है साथ ही उभय पक्षों से दिनांक 20/01/22 को कारण-पृच्छा की मांग की जाती है कि क्यों नहीं एक या दोनों पक्षों के विरुद्ध निरोधात्मक आदेश को सम्पुष्ट किया जाय। लेखापित एवं संशोधित ह० 8/01/22 अनुमंडल दण्डाधिकारी जगदीशपुर-[illegible] ह० 8/01/22 अनु० दण्डा० जगदीशपुर-[illegible]	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
20/01/22	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। to 03/02/22	
03/02/22	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष वकालतन उपस्थित। to 17/02/22	
17/02/22	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष वकालतन उपस्थित। द्वितीय पक्ष द्वारा कारण पृच्छा दाखिल to 24/02/22	
24/02/22	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। to 03/03/22	
03/03/22	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष वकालतन उपस्थित। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना। प्रथम पक्ष के अनुसार प्रक्रिया की भूमि प्रथम पक्ष की माता स्व० सकीना खातुन के द्वारा केवाला से खरीदगी है। 03.04.1974 को जमीन खरीदगी के पश्चात प्रथम पक्ष	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	लगातार दखलकार रहे हैं, द्वितीय पक्ष उनके दखल को समाप्त करना चाहते हैं। प्रथम पक्ष के द्वारा अपने दावे के समर्थन विक्रय पत्र की छाया प्रति एवं लगान रसीद की छाया प्रति दाखिल किया गया है। द्वितीय पक्ष के अनुसार प्रश्नगत भूमि उन्हें निबंधित केवाला के माध्यम से सकीना बीबी से हासिल है। वर्ष 2008 से लगातार द्वितीय पक्ष प्रक्रिया की भूमि पर दखलकार रहे हैं। प्रथम पक्ष की भूमि एवं द्वितीय पक्ष की भूमि अलग-अलग है। अंचल अधिकारी द्वारा द्वितीय पक्ष हेतु LPC भी निर्गत किया गया है। द्वितीय पक्ष के द्वारा अपने दावे के समर्थन में LPC की छाया प्रति, विक्रय पत्र की छाया प्रति दाखिल किया गया है। अंचल अधिकारी, ~~बगोदर~~ बिरनी के प्रतिवेदन का अवलोकन किया। अंचल अधिकारी, बिरनी के अनुसार सरजमीन पर वर्तमान में चाहरदिवारी है, जो 2[illegible] में ही द्वितीय पक्ष के विक्रेता के द्वारा किया गया था।	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	द्वितीय पक्ष के विक्रेता की उक्त भूमि केवाला से लिये थे। जमीन खरीदगी के पश्चात अभी तक द्वितीय पक्ष के भूमि का नामांतरण नहीं हुआ है। उक्त विवेचन के आलोक में ~~प्रक्रिया~~ नियमन को प्रथम पक्ष के विरुद्ध सम्पुष्ट किया जाता है तथा द्वितीय पक्ष के हित में रिक्त किया जाता है। यह आदेश प्रक्रिया प्रारम्भ होने की तिथि से साठ दिनों के लिये प्रभावी होगा। ह० [illegible] SDM, Bagodar-Sariya.	

Digitally signed by KUNDAN KUMAR
Date: 2022.07.08 11:22:34 +05:30
Location: 192.168.1.7